राजस्थान सरकार

कृषि निदेशालय,राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:प6 (96–एन) आ.कृ/प्र.एवं मू./प्री. कार्यशाला/ 2016–17/941-1107 दिनांकः 16-03-2017

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिला परिषद।

विषयः– प्रबोधन सर्वेक्षण, विभागीय फसल कटाई प्रयोग एवं कृषकों को देय अनुग्रह राशि वर्ष 2017–18 के दिशा–निर्देश बाबत्।

प्रबोधन सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन सर्वेक्षण अन्तर्गत विभागीय फसल कटाई प्रयोग तथा कृषकों को देय अनुग्रह राशि भुगतान वर्ष 2017–18 हेतु दिशा–निर्देश एवं वार्षिक कार्य योजना संलग्नकर आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाये जा रहे हैं।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार।

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक, कृषि

क्रमांक:प6 (96–एन) आ.कृ/प्र.एवं मू./प्री. कार्यशाला/ 2016–17/941-1107 दिनांकः 16-03-2017

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, शासन सचिवालय, राज., जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर।
5. अपर निदेशक, (अनु./आदान/विस्तार/आईसोपॉम/समन्वय), कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन/सांख्यिकी/ज.उ.प्र./योजना/गुण–नियंत्रण/ आदान/ विस्तार/पौध संरक्षण/आर.के.वी.वाई./ए.टी.सी.), कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) खण्ड।
8. उपनिदेशक कृषि (अभियांत्रिकी/सूचना/विस्तार/सांख्यिकी) कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार), जि0प0।
10. ए.सी.पी., कृषि आयुक्तालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. समस्त सहायक निदेशक कृषि (विस्तार), उप जिला।

(डॉ. हुशियार सिंह)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्र. एवं मू.)

20/3/17

F:\M&E guideline.docx

AS(IT)

<u>प्रबोधन सर्वेक्षण एवं विभागीय फसल कटाई प्रयोग वर्ष 2017–18 हेतु दिशा–निर्देश</u>

1. प्रबोधन सर्वेक्षण का कार्य उप जिला स्तर पर कार्यरत कृषि अन्वेषक द्वारा सम्पन्न किया जावेगा। विभागीय फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा किया जावेगा, जिसके लिए उनको कृषि अन्वेषक या सांख्यिकी संवर्ग के अन्य अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जावेगा। **<u>विभागीय फसल कटाई प्रयोगों का सम्पादन सभी उपजिलों में कराया जाना अनिवार्य है।</u>**
2. **कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र, ग्राम पंचायत व ग्राम का चयनः–** कृषि उपजिले के समस्त सहायक कृषि अधिकारी क्षेत्रों को हिन्दी वर्णमाला क्रम अनुसार लिखा जाकर उनके अधीन कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्रों को भी स.कृ.अ. क्षेत्रवार हिन्दी वर्णमाला क्रम में सूचीबद्ध किया जावेगा। इस प्रकार तैयार सूची में कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्रों के आगे क्रम संख्या 1 से शुरू कर लगातार क्रम संख्या अंकित की जावे। कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्रों के चयन हेतु खण्ड कार्यालय से उपजिले को आवंटित रेण्डम कॉलम का प्रयोग कर 50 कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्रों का चयन किया जावे। इन चयनित 50 कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्रों को मूल्यांकन सर्वेक्षण हेतु चयनित माना जावेगा। इस चयन प्रक्रिया में प्रथम 15 कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्रों को मूल्यांकन के साथ प्रबोधन सर्वे हेतु भी चयनित माना जावेगा। उपजिले में कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्रों की संख्या 50 से कम होने की स्थिति में सभी कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्रों को चयनित माना जावेगा। इसी प्रकार चयनित कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र के अधीन ग्राम पंचायतों को वर्णमाला क्रम्रानुसार सूचीबद्ध कर एक ग्राम पंचायत का चयन रेण्डम टेबल द्वारा किया जावेगा। कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र में एक ही ग्राम पंचायत होने की स्थिति में वही ग्राम पंचायत चयनित मानी जायेगी। चयनित ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले राजस्व ग्रामों को वर्णमाला क्रम में सूचीबद्ध कर रेण्डम विधि द्वारा एक राजस्व ग्राम का चयन किया जावेगा।
3. **लाभान्वित व अन्य कृषक का चयनः–** बिन्दु–2 अनुसार चयनित राजस्व ग्राम के गत वर्ष संबंधित फसल मौसम (खरीफ / रबी) के लाभान्वित कृषकों (खरीफ मौसम हेतु अप्रैल से सितम्बर माह तक तथा रबी मौसम हेतु अक्टूबर से मार्च माह तक विभाग के किसी भी अनुदानित कार्यक्रम अन्तर्गत लाभान्वित) की सूची व ग्राम के शेष रहे अन्य कृषकों की सूची वर्णमाला क्रमानुसार अलग–अलग बनाकर आवंटित रेण्डम कॉलम अनुसार रेण्डम टेबल द्वारा 1–1 कृषक का चयन किया जावेगा। इन कृषकों के यहाँ मूल्यांकन सर्वेक्षण अन्तर्गत विभागीय फसल कटाई प्रयोग सम्पादित करवाये जायेंगे। प्रबोधन सर्वे हेतु चयनित 15 कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्रों के यहाँ मूल्यांकन सर्वे हेतु चयनित 1 लाभार्थी व 1 अन्य कृषक के अतिरिक्त 1 लाभार्थी व 1 अन्य कृषक का चयन और किया जावेगा। इस प्रकार कृषि उपजिले में प्रबोधन सर्वे हेतु 15 कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्रों में 30 लाभार्थी कृषक व 30 अन्य कृषक होंगे एवं मूल्यांकन सर्वे हेतु 50 लाभार्थी व 50 अन्य कृषक होंगे।
4. **मूल्यांकन सर्वे अन्तर्गत फसल का चुनावः**–उपजिले में रबी / खरीफ मौसम में सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल को मुख्य फसल के रूप में चुना जावेगा। इस फसल पर सभी चयनित गांवों में प्रयोग सम्पन्न करवाये जावेंगे। मुख्य फसल के बाद उपजिले में अधिकतम क्षेत्र वाली दो फसलों को द्वितीय फसल के रूप में चुना जावेगा। द्वितीय फसल हेतु निर्धारित दोनों फसलें चयनित कृषक के यहाँ उपलब्ध होने पर दोनों फसलों में से उपजिले में कम क्षेत्र वाली फसल को प्राथमिकता देते हुए द्वितीय फसल का चयन किया जावेगा। इसमें यह ध्यान अवश्य रखा जाए कि ग्राम में लाभान्वित कृषक के यहाँ जिन फसलों का चयन हुआ है, उन्हीं फसलों का चयन अन्य कृषक के यहाँ किया जावे।
5. **रेण्डम नम्बर व कॉलम नम्बर का आवंटनः**–फसल कटाई प्रयोग संपादन हेतु खेत के चयन बाबत चयनित कृषि पर्यवेक्षकों को खण्ड द्वारा आवंटित रेण्डम कॉलम से शुरूकर लगातार

आगे चलते हुए तीन अंको वाली 1–1 रेण्डम संख्या तथा प्लॉट बनाने हेतु 1 से 22 तक के रेण्डम कॉलमों का आवंटन कृषि अन्वेषक द्वारा किया जावेगा।

6. प्रबोधन व मूल्यांकन सर्वेक्षण कार्य का निरीक्षण निम्नलिखित लक्ष्यानुसार किया जावेगा।

अधिकारी / कर्मचारी	प्रबोधन सर्वे निरीक्षण लक्ष्य (प्रति फसल मौसम)	मूल्यांकन सर्वेक्षण (फ.क.प्र.) निरीक्षण लक्ष्य (प्रति फसल मौसम)		
		कटाई से पूर्व (प्रयोगों की संख्या)	कटाई के समय (प्रयोगों की संख्या)	थ्रेसिंग के समय (प्रयोगों की संख्या)
राज्य स्तर पर प्रबोधन एवं मूल्यांकन शाखा में कार्यरत संयुक्त निदेशक / उपनिदेशक / सहा.निदेशक / कृषि अधिकारी / सां.अधिकारी / सहा.सां. अधिकारी	4 राजस्व ग्राम	–	4	4
खण्ड स्तर पर कार्यरत उपनिदेशक कृषि (सांख्यिकी) / कृषि अधिकारी (प्रबोधन) / सहायक सांख्यिकी अधिकारी	2 राजस्व ग्राम प्रति जिला	–	2 प्रति जिला	2 प्रति जिला
जिला स्तर पर कार्यरत सहा. निदेशक सां. / सां. अधिकारी	2 राजस्व ग्राम प्रति उपजिला	–	2 प्रति उपजिला	2 प्रति उपजिला
उपजिला स्तर पर कार्यरत सहा. निदेशक कृषि (वि.)	1 राजस्व ग्राम	–	4	4
उपजिला स्तर पर कार्यरत कृषि अधिकारी	–	–	4	4
संबंधित सहा. कृषि अधिकारी	–	–	4	4
कृषि अन्वेषक	–	8	8	8

7. सभी अधिकारी निरीक्षण के समय प्रपत्र 1.1 एवं 1.2 में उचित टिप्पणी आवश्यक रूप से अंकित करेंगे।

8. जिन कार्यालयों में सम्बन्धित निरीक्षण अधिकारियों के पद रिक्त हैं, वहां पर निरीक्षण कार्य कार्यभार वाले अधिकारी द्वारा सम्पादित कर शत प्रतिशत निरीक्षण करना सुनिश्चित किया जावे।

9. प्रबोधन सर्वेक्षण एवं फसल कटाई प्रयोगों का सारणीकरण कार्य कृषि अन्वेषक / संबंधित कार्मिक द्वारा पूर्ण कर सांख्यिकी अधिकारी / सहायक निदेशक कृषि (सांख्यिकी) के माध्यम से तथा जहॉं सांख्यिकी अधिकारी कार्यरत नहीं है वहां सीधे ही संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) को भिजवाया जावेगा।

10. समस्त कार्य संलग्न वार्षिक कार्य योजना के अनुसार किया जायेगा।